फर्द अहकाम
कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट राजसमन्द, जिला राजसमन्द

दिवान हाउसिंग फाइनेन्स कॉरपोरेशन लिमिटेड एक पंजीकृत कम्पनी (पंजीकृत अन्तर्गत कम्पी एक्ट, 1956), पंजीकृत कार्यालय– वार्डन हाउस, द्वितीय तल, सर पी. एम.रोड, फार्ट, मुम्बई– 400001 तथा शाखा कार्यालय – 302/5, तृतीय तल, जयपुर टावर, एम.आई.रोड, जयपुर (राज.) जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री मुकेश कुमार यादव।

– प्रार्थी कम्पनी

बनाम

1. श्री दिनेश चन्द्र हरिजन पुत्र श्री पुनमचन्द, सम्पत्ति पता – 48, आराजी नम्बर 3404/1062, 3405/1062 गावॅ लावा सरदारगढ़, आमेट, जिला राजसमन्द (राजस्थान) 313330

एवं

निवासी – मार्फत श्री सुनिल नायक, वर्षा न्यू टाउन, पवन नगर, बडनेरा, अमरावती – 444601, महाराष्ट्र

एवं

कार्यालय पता– अमरावती, आर.ई.सी., अमरावती – 444601, महाराष्ट्र

–ऋणी/बंधककर्ता

2. श्रीमती नीतु देवी पत्नि श्री दिनेश चन्द्र हरिजन, निवासी – फ्लैट नम्बर – आर 204, राधे कृष्ण अपार्टमेन्ट, उदयपुर (राज.) 313001

एवं

सम्पत्ति पता – आराजी नम्बर 3404/1062, 3405/1062 गावॅ लावा सरदारगढ़, आमेट, जिला राजसमन्द (राजस्थान) 313330

–सहऋणी

–अप्रार्थीगण

किस्म मुकदमा– प्रार्थना पत्र सरफेसी एक्ट **पत्रावली संख्या 47/2021**

कमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 07.12.2021 प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी दिवान हाउसिंग फाइनेन्स कॉरपोरेशन लिमिटेड जयपुर ने दिनांकः 26.08.2021 को इस न्यायालय में धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत प्रस्तुत किया हैं जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी कम्पनी, कम्पनी अधिनियम 1956 के अर्न्तगत एक पंजीकृत कम्पनी हैं, जिसका पंजीकृत कार्यालय वार्डन हाउस, द्वितीय तल, सर पी.एम. रोड, फार्ट, मुम्बई– 400001 तथा शाखा कार्यालय – 302/5, तृतीय तल, जयपुर टावर, एम.आई.रोड, जयपुर राजस्थान में स्थित व कार्यरत हैं। मुकेश कुमार यादव उक्त कम्पनी के प्राधिकृत अधिकारी हैं।	

अप्रार्थीगण ने प्रार्थी कम्पनी से जरिये ऋण करार संख्या 00000702 के द्वारा 3,66,245/–रूपये का ऋण लिया था। अप्रार्थीगण ने उक्त ऋण मय ब्याज के पुर्न भुगतान की सिक्योरिटी के पेटे अपनी अचल सम्पत्ति – आवासीय मकान/ पट्टा संख्या 056 जो कि आराजी नम्बर 3404/1062, 3405/1062 गावॅ लावा सरदारगढ़, पंचायत समिति आमेट, जिला राजसमन्द राजस्थान को प्रार्थी कम्पनी के पास रहन किया। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी कम्पनी के उक्त ऋण का भुगतान नही कर सकें और दिनांक 01.07.2018 को ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम डिफाल्ट होने पर अप्रार्थीगण के उक्त ऋण खातो को एन.पी.ए. घोषित कर दिया हैं। प्रार्थी कम्पनी ने अप्रार्थीगण के ऋण खाता संख्या 00000702 में बकाया रूपये 3,78,944/– रूपये (अक्षरे तीन लाख अठत्तर हजार नौ सौ चवालिस रूपये मात्र) बकाया रकम व ब्याज दिनांक 18.07.2018 तक शेष व देय निकलते हैं कि मांग हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत दिनांक 20.07.2018 को एक मांग नोटिस भी जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. डाक के माध्यम से अप्रार्थीगण को उनके ज्ञात पतों पर प्रेषित किये तथा उक्त नोटिस को दो मुख्य अखबार क्रमशः हिन्दी में प्रातःकाल व अंग्रेजी में दी इण्डियन एक्सप्रेस में दिनांक 26.09.2018 को प्रकाशित करवाया गया, परन्तु धारा 13(2) के दोनो नोटिस की प्राप्ति व जानकारी के पश्चात भी अप्रार्थीगण द्वारा देय राशि का भुगतान प्रार्थी कम्पनी को नही किया गया हैं। अप्रार्थीगण ने प्रार्थी कम्पनी के पक्ष में उक्त ऋण अवधि की पुर्न भुगतान के लिए जो सम्पत्ति रहन रखी हैं उसका प्रार्थी कम्पनी में रहन दस्तावेजो के अनुसार विवरण इस प्रकार हैं। एक आवासीय मकान/ पट्टा संख्या 056 जो कि आराजी नम्बर 3404/1062, 3405/1062 गावॅ लावा सरदारगढ़, पंचायत समिति आमेट, जिला राजसमन्द राजस्थान में स्थित हैं। जिसका कुल क्षैत्रफल 1500 वर्गफीट हैं जो कि दिनेश चन्द्र हरिजन पुत्र श्री पुनमचन्द के स्वामिन्व की है। प्रार्थी कम्पनी उक्त एक्ट के प्रावधानों के अनुसार प्रार्थी कम्पनी उक्त चरण सं0 5 में वर्णित सिक्यूरिटी रहनशुदा सम्पत्ति का वास्तविक कब्जा प्राप्त करने व विक्रय कर उक्त शेष देय राशि वसूल करने का अधिकारी हैं।

प्रकरण में प्रार्थी बैंक/वित्तिय संस्था द्वारा ऋणी तथा गारण्टर को धारा 13(2) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के नोटिस दिनांकः 20.07.2018 को जारी किया गया था। उक्त नोटिस विपक्षी को उनके पते पर तामिल होने संबंधी रजिस्टर्ड ए0डी0 की रसीदे प्रस्तुत की गयी एवं अखबार में दिनांकः 26.09.2018 को नोटिस का प्रकाशन करवाया गया। आवेदक बैंक/वित्तिय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अभिलेख व आवेदक के शपथ–पत्र पर विचार करने के उपरान्त हम धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 में प्रदत्त की गयी शक्तियों के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

प्रार्थी दिवान हाउसिंग फाइनेन्स कॉरपोरेशन लिमिटेड जयपुर द्वारा प्रस्तुत दावे में आबादी भूमि का विनियमितिकरण विलेख के अनुसार बन्धक सम्पत्ति का विवरण :– आवासीय मकान/ पट्टा संख्या 056 जो कि आराजी

M

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

नम्बर 3404/1062, 3405/1062 गावँ लावा सरदारगढ़, पंचायत समिति आमेट, जिला राजसमन्द राजस्थान में स्थित हैं। जिसका कुल क्षैत्रफल 1500 वर्गफीट हैं जिसकी चतुर्सीमा पड़ौस निम्न प्रकार है कि :– पूर्व – प्रकाश जी कल्याणा का मकान, पश्चिम – अमृतलाल कल्याणा का मकान, उत्तर – मगरी, दक्षिण – रास्ता।

उपरोक्त सम्पत्ति किसी अन्य को स्थानान्तरण नहीं की हो, किसी न्यायालय का कोई आदेश/स्थगन प्रभावी नहीं होने पर उक्त निवासी सम्पत्ति का भौतिक रुप से कब्जा प्रार्थी दिवान हाउसिंग फाइनेन्स कॉरपोरेशन लिमिटेड जयपुर के अधिकृत प्रतिनिधि को जरिये पुलिस मदद के दिलवाये जाने के आदेश दिए जाते हैं। इस आदेश की पालना हेतु प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमंद को प्रेषित की जाकर प्रार्थी दिवान हाउसिंग फाइनेन्स कॉरपोरेशन लिमिटेड जयपुर को नियमानुसार पुलिस जाब्ता राशि जमा होने पर पर्याप्त पुलिस जाब्ता उपलब्ध कराया जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला मजिस्ट्रेट
राजसमन्द

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)